[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या–20 एच०एल०ए०

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा की सुनिश्चितता और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह 14 अगस्त, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, 15 अगस्त, 2024;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अधिसूचित किया जाए;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अधिसूचित किया जाए;

(घ) "पात्र संविदात्मक कर्मचारी" से अभिप्राय है, नियत तिथि को सरकारी संस्था में संविदा, तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी;

(ड.) "सरकार" से अभिप्राय है, मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) "सरकारी संस्था" से अभिप्राय है, कोई विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण, जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी, इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि को कार्यरत था;

(छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अधिवर्षिता" से अभिप्राय है, अधिवर्षिता की आयु, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

पात्रता की शर्तें।

3. पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह कर्मचारी होगा,–

(i) (क) जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित गया है और जो नियत तिथि को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रतिमास 50,000/– रूपए तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है; या

(ख) जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का परिनियोजन नीति, 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था की सेवा में है;

(ii) जिसने नियत तिथि को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

व्याख्या 1.– सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी, जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया था और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी।

व्याख्या 2.– नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा,

किन्तु इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा–

(i) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः भुगतान वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो; या

(ii) जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो; या

(iii) जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो; या

(iv) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या

(v) जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो या उसे हटा दिया गया हो।

नियोजन का कार्यकाल।

4. पात्र संविदात्मक कर्मचारी, सरकारी संस्था में निरन्तर कार्य करता रहेगा, जब तक वह अधिवर्षिता की आयु पूरी नहीं कर लेता।

पारिश्रमिक।

5. (1) पात्र संविदात्मक कर्मचारी, सरकारी संस्था में की गई सेवा के वर्षों के आधार पर प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित तत्समान पद के वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन के बराबर समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां सरकारी संस्था तत्समान पद अवधारित करने में असमर्थ है, तो मामला मुख्य सचिव को भेजा जाएगा, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के परामर्श से इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए तत्समान पद अवधारित करेगा।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित समेकित मासिक पारिश्रमिक नियत तिथि को पात्र संविदात्मक कर्मचारी द्वारा आहरित पारिश्रमिक से कम नहीं होगा।

(3) पात्र संविदात्मक कर्मचारी, ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करेगा, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(4) महँगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन तथा जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(5) सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती है।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या पुनरीक्षित कर सकती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुशासन, शास्तियां, अपीलें तथा अन्य मामले।

7. अनुशासन, शास्तियों, अपीलों से सम्बन्धित मामलों और अन्य मामलों में, जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, पात्र संविदात्मक कर्मचारी ऐसे नियमों से शासित होगा, जो विहित किए जाएं।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

9. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

2019 के हरियाणा अधिनियम 13 का संशोधन।

11. हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) के उपबन्ध, द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार संशोधित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति

12. (1) हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

प्रथम अनुसूची

(देखिए धारा 5)

<table>
<tr><td>1.</td><td>अतिरिक्त पारिश्रमिक, जो निम्न अनुसार नियत किया जाएगा, अर्थात् :–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>नियत तिथि को नियोजन के वर्षों की संख्या</th><th>नियत तिथि को वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन से अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>10 वर्ष से अधिक</td><td>वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 15 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>8 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक</td><td>वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 10 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>5 वर्ष से अधिक किन्तु 8 वर्ष तक</td><td>वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 5 प्रतिशत</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रधान मंत्री–जन आरोग्य योजना (पी०एम०–जे०ऐ०वाई०) चिरआयु विस्तार योजना के अधीन यथा अधिसूचित या सरकार द्वारा यथा संशोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपादान।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों के अनुसार प्रसुति प्रसुविधा।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ऐसी नीति, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कोशल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति।</td></tr>
</table>

द्वितीय अनुसूची

(देखिए धारा 11)

हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) का संशोधन

1. हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में, "तथापि, ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित शिक्षकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान (नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड) से अधिक नहीं होगा।" शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4क. अन्य लाभ.— अतिथि शिक्षक, नियत तिथि से हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 की प्रथम अनुसूची की मद (2), (3), (4) तथा (5) के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विभिन्न सरकारी संगठनों में जो कर्मचारी अनुबंध, तदर्थ और आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या बहुतायत में है। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के अनेक वर्ष राज्य सरकार की सेवा में समर्पित किए हैं, लेकिन अब उन्हें भविष्य की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सरकारी रिक्तियों हेतु उनकी आयु अधिक होने से और भी जटिल स्थिति उत्पन्न हुई है। इस स्थिति के कारण प्रभावित व्यक्तियों की ओर से कई प्रतिवेदन आए हैं और माननीय न्यायालयों में कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण सरकार के लिए अत्यधिक प्रशासनिक और कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, इन कर्मचारियों द्वारा सरकार को प्रदान की गई अनेक वर्षों की समर्पित सेवा उपरांत कार्यमुक्त करने या उनकी जगह नए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति उपरांत उत्पन्न हुए अन्याय के संबंध में माननीय न्यायालयों ने निरंतर जोर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एल०पी०ए० 576/2023 (दर्शना देवी बनाम हरियाणा राज्य) मामले में सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु नीति बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिन्हें पूर्व में स्वीकृत पदों के अभाव के कारण नियमित नहीं किया जा सका था। इन कर्मचारियों के बीच व्याप्त तनाव और अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न सरकारी कार्यों में अवरोध एंव माननीय न्यायालयों में कानूनी विवाद की संभावनाओं का लोप हो। राज्य की प्रतिबद्धता के साथ–2 चल रहे कानूनी संघर्षों के मध्यनजर, राज्य की सुनिश्चितता को बनाए रखने और आगे की कानूनी जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

अनुबंधित कर्मचारियों के बीच व्याप्त तनाव व अनिश्चितता को दूर करने हेतु एवं माननीय न्यायालय के समकक्ष की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने लंबे समय तक सरकार को सेवा प्रदान की है, को सेवा सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम का सृजन करना प्रस्तावित है। इस संबंध में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा), अध्यादेश, 2024, दिनांक 14.08.2024 को अधिसूचित किया गया था।

हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा), प्रस्तावित अधिनियम, 2024, का उद्देश्य कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने, अनुबंधित कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने और सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है, ताकि सरकारी विभागों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित हो और लंबे समय से सेवारत संविदा कर्मचारियों का कल्याण हो।

इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

नायब सिंह,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 8 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खंड 10 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कार्यपालिका को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। इसलिए, हरियाणा विधानसभा में प्रकिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के तहत अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन संलग्न है।

11395—H.V.S.—H.G.P., Pkl.